राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट· जयपुर, दिनांकः–26 JUL 2010

आदेश

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2010 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा लम्बवत् (vertical) आरक्षण को 50 प्रतिशत तक निर्बंधित (Restricting) करते हुए डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.10.09 और 04.11.09 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पिछड़ा वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में भर्तियों और दाखिलों में एक प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

विशेष पिछड़ा वर्ग को उक्तानुसार आरक्षण प्रदान करने हेतु कार्मिक विभाग के द्वारा पूर्व में जारी आज्ञा कमांक प. 13(20)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.3.99 के साथ संलग्न परिशिष्ठ में लम्बवत् आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु संख्या 95, जो अनारक्षित (UR) है, को विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लिए आरक्षित किया जाता है।

यह आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में कोई और आदेश या विनिश्चय पारित नहीं किया जाता है।

आज्ञा से,

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति0 मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर्स सहित।

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।

रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

31/2010

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- एफ 13(20)कार्मिक/क-2/91 जयपुर, दिनांक 26/3/99

आज्ञा

विषय:- राज्य के बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दु ।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.3.99 के द्वारा बारां जिले में सभी विभागों के वेतन श्रृंखला 1 से 6 के सभी पद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम सेवक (ग्रुप सचिव) (वेतन श्रृंखला-7), शिक्षा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहायक अध्यापक (वेतन श्रृंखला-9-क), आयुर्वेद विभाग के कम्पाउन्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड (वेतन श्रृंखला-9) शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III (वेतन श्रृंखला-9) की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से एवं शेष 75 प्रतिशत रिक्तियाँ सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों से 8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ी जातियों से 10 प्रतिशत एव सामान्य वर्ग से 51 प्रतिशत से भरने का प्रावधान किया गया है ।

बारां जिले में उक्त प्रवर्गों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए उक्त आरक्षण की भली प्रकार अनुपालन के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के अतिक्रमण में सहरिया आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए संलग्न परिशिष्ठ में रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये जाते हैं ।

336

यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी तथा उक्त पदों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों पर भर्ती के प्रति ही उक्त आरक्षण लागू होगा, पदोन्नति पर नहीं ।

बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण क्रमशः 16%, 12% एवं 21% के आधार पर पूर्व में प्रचलित रोस्टर के अनुसार ही होगा ।

आज्ञा से,

(सूरजमल केड़वाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2- प्रमुख निजी सचिव, मुख्यमंत्री ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
5- आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर ।
6- उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
7- समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4- पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
6- पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
7- रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव

२२|११

प्रे. सं. 990324/

परिशिष्ट-[illegible]

बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दु ।

क्र. सं.	सहरिया आदिम जाति 25%	अन्य पिछड़ा वर्ग 10%	अनुसूचित जाति 8%	अनुसूचित जनजाति 6%	प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किया जाना चाहिए ।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	0.25	0.10	0.08	0.06	अनारक्षित
2.	0.50	0.20	0.16	0.12	अनारक्षित
3.	0.75	0.30	0.24	0.18	अनारक्षित
4.	1.00	0.40	0.32	0.24	सहरिया-1
5.	1.25	0.50	0.40	0.30	अनारक्षित
6.	1.50	0.60	0.48	0.36	अनारक्षित
7.	1.75	0.70	0.56	0.42	अनारक्षित
8.	2.00	0.80	0.64	0.48	सहरिया-2
9.	2.25	0.90	0.72	0.54	अनारक्षित
10.	2.50	1.00	0.80	0.60	अ. पि. व. -1
11.	2.75	1.10	0.88	0.66	अनारक्षित
12.	3.00	1.20	0.96	0.72	सहरिया-3
13.	3.25	1.30	1.04	0.78	अ. जा. -1
14.	3.50	1.40	1.12	0.84	अनारक्षित
15.	3.75	1.50	1.20	0.90	अनारक्षित
16.	4.00	1.60	1.28	0.96	सहरिया-4
17.	4.25	1.70	1.36	1.02	अ. ज. जा. -1
18.	4.50	1.80	1.44	1.08	अनारक्षित
19.	4.75	1.90	1.52	1.14	अनारक्षित
20.	5.00	2.00	1.60	1.20	अ. पि. व. -2
21.	5.25	2.10	1.68	1.26	सहरिया-5
22.	5.50	2.20	1.76	1.32	अनारक्षित
23.	5.75	2.30	1.84	1.38	अनारक्षित
24.	6.00	2.40	1.92	1.44	सहरिया-6
25.	6.25	2.50	2.00	1.50	अ. जा. -2
26.	6.50	2.60	2.08	1.56	अनारक्षित
27.	6.75	2.70	2.16	1.62	अनारक्षित
28.	7.00	2.80	2.24	1.68	सहरिया-7
29.	7.25	2.90	2.32	1.74	अनारक्षित
30.	7.50	3.00	2.40	1.80	अ. पि. व. -3

......2/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	7.75	3.10	2.48	1.86	अनारक्षित
32.	8.00	3.20	2.56	1.92	सहरिया-8
33.	8.25	3.30	2.64	1.98	अनारक्षित
34.	8.50	3.40	2.72	2.04	अ.ज.जा.-2
35.	8.75	3.50	2.80	2.10	अनारक्षित
36.	9.00	3.60	2.88	2.16	सहरिया-9
37.	9.25	3.70	2.96	2.22	अनारक्षित
38.	9.50	3.80	3.04	2.28	अ.जा.-3
39.	9.75	3.90	3.12	2.34	अनारक्षित
40.	10.00	4.00	3.20	2.40	अ.पि.व.-4
41.	10.25	4.10	3.28	2.46	सहरिया-10
42.	10.50	4.20	3.36	2.52	अनारक्षित
43.	10.75	4.30	3.44	2.58	अनारक्षित
44.	11.00	4.40	3.52	2.64	सहरिया-11
45.	11.25	4.50	3.60	2.70	अनारक्षित
46.	11.50	4.60	3.68	2.76	अनारक्षित
47.	11.75	4.70	3.76	2.82	अनारक्षित
48.	12.00	4.80	3.84	2.88	सहरिया-12
49.	12.25	4.90	3.92	2.94	अनारक्षित
50.	12.50	5.00	4.00	3.00	अ.ज.जा.-3
51.	12.75	5.10	4.08	3.06	अ.जा.-4
52.	13.00	5.20	4.16	3.12	अ.पि.व.-5
53.	13.25	5.30	4.24	3.18	सहरिया-13
54.	13.50	5.40	4.32	3.24	अनारक्षित
55.	13.75	5.50	4.40	3.30	अनारक्षित
56.	14.00	5.60	4.48	3.36	सहरिया-14
57.	14.25	5.70	4.56	3.42	अनारक्षित
58.	14.50	5.80	4.64	3.48	अनारक्षित
59.	14.75	5.90	4.72	3.54	अनारक्षित
60.	15.00	6.00	4.30	3.60	अ.पि.व.-6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
61.	15.25	6.10	4.88	3.66	सहरिया-15
62.	15.50	6.20	4.96	3.72	अनारक्षित
63.	15.75	6.30	5.04	3.78	अ.जा.-5
64.	16.00	6.40	5.12	3.84	सहरिया-16
65.	16.25	6.50	5.20	3.90	अनारक्षित
66.	16.50	6.60	5.28	3.96	अनारक्षित
67.	16.75	6.70	5.36	4.02	अ.ज.जा.-4
68.	17.00	6.80	5.44	4.08	सहरिया-17
69.	17.25	6.90	5.52	4.14	अनारक्षित
70.	17.50	7.00	5.60	4.20	अ.पि.व.-7
71.	17.75	7.10	5.68	4.26	अनारक्षित
72.	18.00	7.20	5.76	4.32	सहरिया-18
73.	18.25	7.30	5.84	4.38	अनारक्षित
74.	18.50	7.40	5.92	4.44	अनारक्षित
75.	18.75	7.50	6.00	4.50	अ.जा.-6
76.	19.00	7.60	6.08	4.56	सहरिया-19
77.	19.25	7.70	6.16	4.62	अनारक्षित
78.	19.50	7.80	6.24	4.68	अनारक्षित
79.	19.75	7.90	6.32	4.74	अनारक्षित
80.	20.00	8.00	6.40	4.80	अ.पि.व.-8
81.	20.25	8.10	6.48	4.86	सहरिया-20
82.	20.50	8.20	6.56	4.92	अनारक्षित
83.	20.75	8.30	6.64	4.98	अनारक्षित
84.	21.00	8.40	6.72	5.04	अ.ज.जा.-5
85.	21.25	8.50	6.80	5.10	सहरिया-21
86.	21.50	8.60	6.88	5.16	अनारक्षित
87.	21.75	8.70	6.96	5.22	अनारक्षित
88.	22.00	8.90	7.04	5.28	अ.जा.-7
89.	22.25	8.90	7.12	5.34	सहरिया-22
90.	22.50	9.00	7.20	5.40	अ.पि.व.-9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
91.	22.75	9.10	7.28	5.46	अनारक्षित
92.	23.00	9.20	7.36	5.52	सहरिया–23
93.	23.25	9.30	7.44	5.58	अनारक्षित
94.	23.50	9.40	7.52	5.64	अनारक्षित
95.	23.75	9.50	7.60	5.70	अनारक्षित
96.	24.00	9.60	7.68	5.76	सहरिया–24
97.	24.25	9.70	7.76	5.82	अ.ज.जा.–6
98.	24.50	9.80	7.84	5.88	अ.जा.–8
99.	24.75	9.90	7.92	5.94	अ.पि.व.–10
100.	25.00	10.00	8.00	6.00	सहरिया–25